भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2237

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता

†2237. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तथा जिला अस्पतालों में आवश्यक दवाओं एवं नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति का कल्लाकुरिची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं की खरीद, प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा नैदानिक सेवाओं में सुधार के लिए विभिन्न केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं, चिकित्सा आपूर्तियों तथा नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता में कमी, स्टॉक खत्म होने या अन्य कमियों का आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त राज्य के ग्रामीण आबादी, विशेषकर दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों में किफायती दवाओं, आवश्यक नैदानिक सुविधाओं तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): 'जन स्वास्थ्य' और 'अस्पताल' राज्य के विषय हैं तथा सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों में आवश्यक दवाओं और निदान (डायग्नोस्टिक) सुविधाओं की उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी संसाधन सीमा के भीतर उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

प्रत्येक वर्ष, पीआईपी को प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जिला एवं राज्य-स्तरीय योजना प्रक्रियाओं के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें एनएचएम के तहत आने वाली सभी कार्यकलाप और व्यय शामिल होते हैं। निधियों के राज्यवार आवंटन को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है। https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, आवश्यक औषधियों की सूची (ईडीएल) और विशिष्ट औषधियों की सूची (एसडीएल) में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से 408 ईडीएल और 400 एसडीएल तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज़ कॉर्पोरेशन (टीएनएमएससी) के गोदामों में उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री – आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटक के तहत, तमिलनाडु राज्य के लिए पाँच वर्षों (अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के लिए 74.44 करोड़ रूपए की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति 38 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए दी गई है, ताकि गुणवत्तापूर्ण आवश्यक नैदानिक सेवाओं तक पहुँच बढ़ाकर नैदानिक अवसंरचना को मजबूत किया जा सके।

तमिलनाडु राज्य के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) के सुदृढ़ीकरण हेतु 301.07 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना अवधि के दौरान 386 बीपीएचयू की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए 301.07 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं, ताकि रोग निगरानी को सुदृढ़ किया जा सके और नैदानिक सहायता प्रदान की जा सके।

(ग) और (घ): तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, अब तक दवाओं की कोई कमी/स्टॉक समाप्त होने की स्थिति नहीं आई है। साथ ही, कुछ दवाओं को ईडीएल में शामिल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। एकीकृत आवश्यक प्रयोगशाला सेवाओं (आईईएलएस) के अंतर्गत आवश्यक नैदानिक जाँचों का समय के अंतराल पर विश्लेषण किया जाता है, ताकि स्वास्थ्य केंद्रों में नैदानिक सेवाओं की उपलब्धता का आकलन किया जा सके। साथ ही, औषधि वितरण एवं प्रबंधन प्रणाली (डीडीएमएस) पोर्टल के माध्यम से स्टाक में दवाओं की उपलब्धता और उनके उपयोग की निरंतर निगरानी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष निःशुल्क औषधि सेवा पहल तथा निःशुल्क नैदानिक सेवा पहल के तहत राज्यों को उनके पीआईपी प्रस्तावों के माध्यम से दवाओं और नैदानिक सेवाओं के संदर्भ में सहायता प्रदान करती है।
